संख्या-37/2019/1171/46-1-19-20(03)/2019

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2019

विषय- उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2019-20 में गैर वेतन मद में आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के लिए आवंटित धनराशि रू. 483.78 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू. 245.83 लाख के सापेक्ष योजनावार प्रशासकीय स्वीकृति सहित व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत मद में शासनादेश संख्या- 36/2019/1052/46-1-19-20(03)/2019 दिनांक 16 सितम्बर,2019 द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू. 245.83 लाख के सापेक्ष रू. 200.628 लाख को संलग्नक 1, व 2 में उल्लिखित परियोजनाओं के सम्मुख कालम-3 में अंकित उनकी कुल लागत लागत की क्रमशः धनराशि रू. 357.797 लाख, व रू. 21.73 लाख अर्थात कुल धनराशि रू. 379.527 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित, संलग्नक-1 में उल्लिखित चालू परियोजानाओं हेतु उनके सम्मुख कालम-5 के अनुसार कुल अवशेष धनराशि रू. 178.898 लाख एवं संलग्नक-2 में उल्लिखित नयी परियोजनाओं हेतु उनके सम्मुख कालम-4 के अनुसार कुल धनराशि रू. 21.73 लाख को व्यय/उपयोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा तथा संलग्नक में उल्लिखित परियोजनाओं का निर्माण कार्य उनके सम्मुख अंकित कार्यदायी संस्थाओं से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

3. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2019/1171(1)/46-1-19-20(03)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-37/2019/1171(2)/46-1-19-20(03)/2019, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का संलग्नक-1

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रकालन के आधार पर कुल लागत	पूर्व में स्वीकृत/व्यय धनराशि	प्रस्तावित/ व्यय की जाने वाली धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6
क-	शाहजहॉपुर				
1	शाहजहॉपुर प्रक्षेत्र की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण/विशेष मरम्मत-600.00 मीटर शाहजहॉपुर	41.07	20.535	20.535	गन्ना विकास विभाग
2	प्रक्षेत्र/प्रयोगशाला/आवासीय परिसर की सड़कों की विशेष मरम्मत-0.689 मीटर	10.082	5.041	5.041	गन्ना विकास विभाग
3	गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के आवासीय परिसर में जल निकासी का कार्य-315.0 मीटर	4.85	2.425	2.425	गन्ना विकास विभाग
4	शोध परिषद, शाहजहॉपुर के बैलखाना से आवासीय भवनों तक एवं पानी की टंकी कालोनी से इन्टरलाकिंग का कार्य-204.60 मीटर	10.00	5.00	5.00	गन्ना विकास विभाग
	योग (क):-	66.002	33.001	33.001	गन्ना विकास विभाग
ख-	सेवरही				गन्ना विकास विभाग
1	टाइप-4 आवास के 04 आवास की विशेष मरम्मत	14.92	7.460	7.460	गन्ना विकास विभाग
2	टाइप-2 आवास के 28 आवास की साधारण मरम्मत	57.855	28.928	28.927	गन्ना विकास विभाग
3	गोदाम एवं थेसिंग फलोर की मरम्मत	9.61	4.805	4.805	गन्ना विकास विभाग
4	कार्यालय/प्रयोगशाला/प्रशासनिक भवन की विशेष मरम्मत	52.40	26.200	26.200	गन्ना विकास विभाग
5	मेनगेट से कार्यालय भवन तक सड़क की विशेष मरम्मत	21.352	10.676	10.676	गन्ना विकास विभाग
	योग (ख):-	156.137	78.069	78.068	गन्ना विकास विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

ग-	लक्ष्मीपुर				
1	बड़े गोदाम की छत मरम्मत	2.95	1.475	1.475	गन्ना विकास विभाग
	योग (ग):-	**2.95**	**1.475**	**1.475**	गन्ना विकास विभाग
घ-	**मुजफ्फरनगर**				
1	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण-410 मीटर	22.148	11.074	11.074	गन्ना विकास विभाग
2	प्रशासनिक भवन से सरकुलर रोड़ तक सड़क निर्माण	21.94	10.970	10.970	गन्ना विकास विभाग
3	जे.डी. आवास में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	3.727	1.864	1.863	गन्ना विकास विभाग
4	टाइप-4 आवासीय भवन-1 में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	4.958	2.479	2.479	गन्ना विकास विभाग
5	प्रशासनिक भवन में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	6.61	3.305	3.305	गन्ना विकास विभाग
6	टाइप-4 आवासीय भवन-2 में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	5.36	2.680	2.680	गन्ना विकास विभाग
7	टाइप-2 आवासीय भवन-2 में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	7.19	3.595	3.595	गन्ना विकास विभाग
8	प्रशासनिक भवन से टाईप-2 आवासीय भवन तक लेपन कार्य	7.837	3.918	3.919	गन्ना विकास विभाग
9	कीट एवं कवक लैब में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	2.11	1.055	1.055	गन्ना विकास विभाग
10	प्रशासनिक भवन से टाईप-2 आवासीय भवन तक स्ट्रीट लाइट कार्य	5.82	2.910	2.910	गन्ना विकास विभाग
11	सभाकक्ष में फर्निशिंग एवं एयरकंडीशनिंग कार्य	12.375	6.187	6.188	गन्ना विकास विभाग
	योग (घ):-	**100.075**	**50.037**	**50.038**	
च-	**गोला-खीरी**				
1	कार्यालय भवन की विशेष मरम्मत/पुताई कार्य	15.85	7.925	7.925	गन्ना विकास विभाग
2	टाईप-1 के 8 आवासों की विशेष मरम्मत कार्य	5.29	2.645	2.645	गन्ना विकास विभाग
3	खलिहान की विशेष मरम्मत	5.59	2.795	2.795	गन्ना विकास विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

4	समरसेबिल सोलर मोटर पम्प	5.903	2.952	2.951	यू.पी. नेडा
	योग (च):-	**32.633**	**16.317**	**16.316**	
	योग-(क से च)	**357.797**	**178.899**	**178.898**	

(रूपया एक करोड़ अठहत्तर लाख नवासी हजार आठ सौ मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-37/2019/1171(3)/46-1-19-20(03)/2019, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का संलग्नक-2

क्र.सं;	कार्य का विवरण	कार्य की लागत (प्राकलन के आधार पर)	व्यय की जाने वाली धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5
1	सेंवरही संस्थान पर कृषक हास्टल की मरमम्त/जलापूर्ति हेतु (पम्प हाउस से गेस्टहाउस होते हुए प्रयोगशाला, बायोलोजिकल कन्ट्रोल लैब से कृषक फील्ड हास्टल तक नई अण्डरग्राउन्ड पाइपलाइन का निर्माण)	7.00	7.00	सहायक अभियन्ता उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
2	वी.आई.पी. ग्रेस्टहाउस की विशेष मरम्मत	7.73	7.73	सहायक अभियन्ता उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर
3	सेंवरही संस्थान पर नई मेन अण्डरग्राउन्ड पाइपलाइन का निर्माण (जलापूर्ति) (आवासीय भवनों से होते हुए लेबर कालोनी एवं प्रक्षेत्र के बैलखाना तक पाइप लाइन का निमार्ण)	7.00	7.00	सहायक अभियन्ता उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर
	योग-	21.73	21.73	

(रूपया इक्कीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है